


कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुरादाबाद ।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक 5886/S.F.C.M Cell Lucknow, Dated 27-08-2024 के अनुपालन में परिवार न्यायालय में परामर्शदाता की नियुक्ति की जानी है जिसके सम्बंध में शासनादेश सं० 102/सात-न्याय-2-2015-728/86 दिनांकित 18.6.2015 व उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक 10758/2022 S.F.C.M Cell Allahabad, Dated 29-08-2022, पत्रांक 11411/2022 S.F.C.M Cell Allahabad, Dated 07-09-2022 व शासनादेश सं० 733/सात-न्याय-2-2022-728/86 दिनांकित 02.09.2022 के द्वारा निम्न अर्हता प्राप्त व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं-

1. आवेदक उसी जिले से संबंधित हो जहां पर पारिवारिक न्यायालय स्थित हो, उसे वरीयता दी जायेगी ।
2. आवेदक समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और समाज सेवा में अनुभवी हो । जो आवेदक सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्रीधारक हो और पारिवारिक काउन्सिलिंग में दो वर्ष का अनुभव रखता हो उसे वरीयता दी जायेगी ।
3. आवेदक की आयु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक को 35 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य हो ।
4. परामर्शदाता का कार्यकाल 03 वर्ष का होगा ।
5. परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध होंगे ।
6. नियुक्त परामर्शदाता को शासनादेश के अनुसार नियत मानदेय देय होगा ।
7. आवेदक इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करें कि वह प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुरादाबाद एवं अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुरादाबाद में किसी वाद में पक्षकार नहीं हैं।

क्रम संख्या	जिला	पदों की संख्या
1	मुरादाबाद	1

जो पुरुष अथवा महिला इस पद पर नियुक्त होने के इच्छुक हो वे अपना आवेदन-पत्र अपने शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण-पत्रों की छाया प्रति सहित दिनांक 09.10.2024 तक प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मुरादाबाद के कार्यालय में पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रेषित कर सकते हैं ।


(अरविन्द मलिक)

प्रधान न्यायाधीश,

परिवार न्यायालय, मुरादाबाद ।

09/09/24

प्रतिलिपि-

1. प्रभारी अधिकारी (नजारत) जनपद न्यायालय मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित की वह उक्त आदेश की प्रति प्रशासनिक कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, बार एसोसिएशन जनपद न्यायालय मुरादाबाद, बार एसोसिएशन, कलेक्ट्रेट मुरादाबाद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करे ।
2. जिला सूचना अधिकारी मुरादाबाद को स्थानीय समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन हेतु ।
3. सिस्टम अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त आदेश की प्रतिलिपि को जनपद न्यायालय मुरादाबाद व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे ।


(अरविन्द मलिक)

प्रधान न्यायाधीश,

परिवार न्यायालय, मुरादाबाद ।

09/09/24

